

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा
अधिसूचना

भूमि अर्जन/पुनर्वासन एवं पुनर्वरथापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

क्रमांक 15899 /भू—अर्जन/2016/कोरबा, दिनांक 23/12/2016

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात :—

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	कटघोरा	तेलसरा	0.049 हेक्टेयर	तेलसरा – छिरहट मार्ग पर अहिरन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण हेतु भू—अर्जन प्रकरण ग्राम, तेलसरा

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाधात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31/12/2016 को समय 12.00 बजे से स्थान ८००० पैदाघान नं ३५८। नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

- 1 लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण : तेलसरा – छिरहट मार्ग पर अहिरन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण
- 2 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 01 परिवार
- 3 अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : निरंक
- 4 प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की : निरंक अनुमानित संख्या
- 5 प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की : निरंक अनुमानित संख्या
- 6 क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? : हॉ
- 7 क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया : हॉ गया है ?
- 8 परियोजना की कुल लागत : रुपये 305.80 लाख
- 9 परियोजना से होने वाल लाभ : परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के 09 ग्रामों के लगभग 8303 ग्रामवासी लाभांवित होंगे।
- 10 प्रस्तावित सामाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय : प्रस्तावित सामाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं। इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कटघोरा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 110534 दिनांक 02.12.2016 के माध्यम से किया गया है।
- 11 परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक : निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी /सुझाव देना हो, तो विहित तिथि /समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(पी. दग्गानंद)

कलेक्टर

जिला कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृष्ठा 0क0 / 15900 / भू-अर्जन / 2016

प्रतिलिपि:-

कोरबा दिनांक 23 / 12 / 2016

- 01— सचिव, छ0ग0शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 02— अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित।
- 03— आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 04— नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगाँव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
- 05— अनुविभागीय अधिकारी लो०नि०वि०सेतु निर्माण उप संभाग कोरबा की ओर सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एंव स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा का उपलब्ध करावे।
- 06— प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कोरबा को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ0ग0शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट एंव स्थानीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- 07— तहसीलदार कटघोरा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय, एवं नगर पालिक निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना एंव ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करे।
- 08— सचिव, ग्राम पंचायत तेलसरा तहसील कटघोरा जिला कोरबा को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चर्चा कराने एंव मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करे।

(पी०दूमान्द)

कलेक्टर

जिला—कोरबा

एंव पदेन उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एंव आपदा प्रबंधन विभाग



अनुविभागीय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, कोरबा - छत्तीसगढ़

क्रमांक / १५८९४
/ भू-अर्जन / 2016

// आदेश //

कोरबा दिनांक २३ / १२ / २०१६

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा जिला कोरबा के पत्र क्रमांक 7503/अविअ/भू-अर्जन/2016 कटघोरा दिनांक 15.12.2016 द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (सामाजिक समाधात निर्धारण सहमति तथा जनसुवाई) नियम-2016 का क्रियान्वयन हेतु नियमों का निर्माण के संदर्भ में तेलसरा-छिरहुट मार्ग पर अहिरन नदी में सेतु निर्माण ग्राम तेलसरा हेतु भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में सामाजिक समाधात निर्धारण बाबत् प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार दल का गठन किया जाता है:-

क.	गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक:-	डॉ. प्यारे लाल आदिले प्राचार्य जय बुढादेव कला एंव विज्ञान महाविद्यालय कटघोरा जिला कोरबा
ख.	स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि:-	<ol style="list-style-type: none"> श्रीमती ललिता बाई तंवर, सरपंच ग्राम पंचायत तेलसरा, श्री रामायण सिंह जनपद सदस्य (क्षेत्र अरदा)
ग	पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञः-	श्री जेम्स किण्डो सेवानिवृत्त तहसीलदार
घ.	परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञः-	श्री गिरिश टिकरिया अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग कटघोरा
ङ.	प्रभावित क्षेत्र का तहसीलदार (संयोजक)	श्री अमित बेक, तहसीलदार कटघोरा

उपरोक्त में से क्रमांक (क) डॉ. प्यारे लाल आदिले प्राचार्य जय बुढादेव कला एंव विज्ञान महाविद्यालय कटघोरा को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है एवं क्रमांक (ख), (ग) एवं (घ) समिति के सदस्य होगे तथा क्रमांक (ङ.) प्रभावित क्षेत्र के तहसीलदार समिति के संयोजक होगे। समिति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा पुनर्वास प्रशासक के मार्गदर्शन में सामाजिक समाधात निर्धारण संबंधी कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करेंगे एवं प्रतिवेदन पुनर्वास प्रशासक को समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करेंगे।



कलेक्टर
कोरबा-छत्तीसगढ़

पृष्ठा ० क्र. / १५८९४ / भू-अर्जन / 2016
प्रतिलिपि:-

कोरबा दिनांक २३ / १२ / २०१६

01. सचिव, छ०ग०शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सूचनार्थ।
02. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
03. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा को सूचनार्थ।
04. अनुविभागीय अधिकारी(रा.) कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्राचार्य, जय बुढ़ादेव कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाली जिला कोरबा को सूचनार्थ।
06. अनुविभागीय अधिकारी लो०नि०वि०से०तु निर्माण उप संभाग कोरबा को सूचनार्थ।
07. तहसीलदार कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोरबा को सूचनार्थ।
09. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कटघोरा को सूचनार्थ।
10. सर्व संबंधित श्री/ श्रीमती.....
को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलक्टर
कोरबा, छत्तीसगढ़